[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

आप इस समस्या के हिस्से को भी टच नहीं करेंगे ।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मामलों में सब्जी उगाने की बात है उसका आपको तजुर्बा नहीं है क्योंकि आपकी स्त्री नहीं है ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : इसीलिए हम ज्यादा रुचि लेते है। मेरा कहना यह है कि जब हम उपदेश करते है तो यह भी देखना चाहिए कि जितनी जगह हमारे अपने पास है उसमे भी कुछ किया है क्या, क्योंकि तभी जाकर इसका कुछ परिणाम होगा ।

तो मैं इस विधेयक का जो विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हू वह इसलिए नही कि इसमे जो आपकी मंशा है उससे मैं सहमत नही हू, उससे मै पूरा सहमत हू किन्तु आज कानून पास होने के बाद उसका कार्यान्वयन ठीक ढंग से नही होता है, उसमे भ्रष्टाचार होता है। स्वय सरकार की गलत नीति की वजह से जनता परेशान होती है जनता को चीजे मिलती नहीं है । इसके अतिरिक्त, जब 22 जुलाई, को संसद की बैठक होने वाली थी उसको ताक मे रखकर सरकार ने एसेंसियल कमोडिटीज के बारे मे जो अध्यादेश निकाला उसका मै सख्त विरोध करता हू ।

MR CHAIRMAN. We will take up Item Nos. 15 and 16 together Mr. Joshi, you will reply after the debate on this Bill is concluded

Shri Chattopadhyaya.

THE MINISTER OF COMMERCE (PROF. D. P. CHATTOPADHYAYA): Sir, I beg to move:*

"That the Bill further to amend the Essential Commodities Act, 1955, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

This Bill seeks to replace Ordinance No 2 of 1974.

MR CHAIRMAN: You may continue your speech tomorrow.

17.29 hrs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

FREEDOM FIGHTERS WHO SUPPLIED FALSE INFORMATION

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मै स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बन्धित झूठ सूचना देने वाले, अपने 7 अगस्त के प्रश्न संख्या 1801 के उत्तर से उत्पन्न सवालो पर चर्चा उठा रहा हू। 1972 के 15 अगस्त से देश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेन्शन देने की घोषणा जब की गई थी तो सभी ने इसका हार्दिक स्वागत किया था और इस बात की उम्मीद की गई थी कि जिन्होंने देश की आजादी के सिलसिले मे कुर्बानिया की थी और आज दयनीय स्थिति से होकर गुजर रहे है उन्हे सहायता मिलेगी और वह कुछ और अधिक दिनों तक जिन्दा रहकर हमे प्रेरणा देते रहेंगे, देशवासियों को प्रेरणा देते रहेगे। बहुतों को स्वतन्त्रता सेनानी पेन्शन की स्वीकृति भी दी गई। जब मंत्री जी जवाब देंगे तो मै जरूर जानना चाहूगा कि अब तक कुल कितने लोगों ने आवेदन किया और उनमे से कितने लोगों को पेंशन दी गई और कितने लोगो के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी जेल गए नही, जेल जाने की बात तो दूर रही, स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों मे पैदा भी नहीं हुए थे या अमन सभा में थे—ऐसे बहुतों को पेंशन की स्वीकृति मिल गई है।

उन्होंने संसद् सदस्यों की पैरवी, विधायकों की पैरवी, वे भूतपूर्व हों या वर्तमान, और सर्टिफिकेट ले लिया और उन्हें पेंशन मिल

*Moved with the recommendation of the President.

गया। इतना ही नहीं, मैं बिहार की बात जानता हूं जहां पर कई हजार ऐसे लोगों को पेंशन मिली है जो कभी जेल नहीं गये, नकली लोगो को पेंशन मिली। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना है कि नकली लोगो ने तरह-तरह से प्रमाण-पत्र हासिल करके पेंशन ले ली।... (व्यवधान)... बिहार में स्वतन्त्रता सेनानी कार्यालय है और आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि वहां के कर्मचारी ने वहा के अधिकारियों से धड़ल्ले से ऐसे लोगों के नामों की सिफारिश करवा दी जो कभी जेल नही गये थे और यहा आ कर उन्हें पेंशन की स्वीकृति भी दिलाई। एक कर्मचारी ने, अपने पिता को पेंशन दिलवाई, अपने चाचा को दिलाई और अपने नौकर को दिलवाई और इन तीनों में से कोई भी कभी जेल नही गया था। तो, यह हमारे यहा के भ्रष्टाचार का नमूना है और मैंने इस के बारे में बार-बार शिकायत की, मिनिस्टर साहब को, मिर्धा जी को और पन्त जी को चिट्ठिया लिखी लेकिन अभी तक कुछ नही हुआ है।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : नाम बता दीजिये, इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : नाम मुझे ठीक से याद नही हैं, लाल बाबू है या राम बाबू, है, लेकिन इन नामों में से कोई नाम जरूर है। इसीलिए मैं नाम नही बता रहा हूं।

MR. CHAIRMAN: I think it will not be proper to mention names here.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI UMA SHANKAR DIKSHIT): If he gives the name to me confidentially, I will look into it.

श्री रामावतार शास्त्री : I have given the name already. He comes here very often. आप कहेंगे तो मैं फिर उस का नाम दे दूंगा। मैं इस बारे में मिर्धा जी को पत्र भी लिख चुका हूं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : आपने नाम नहीं बताया। आप ने यही कहा कि वह यहा आता है। यहां तो सभी लोग आते हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं ने बताया था कि उस का नाम लाल बाबू है या राम बाबू है।

श्री उमा शंकर दीक्षित : आप के कहने का मतलब यह है कि इन्ही दोनों में से एक है?

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हां तो मैं यह कह रहा था कि बहुत सारे गलत लोगो को पेंशन मिल रही है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आप ने कहा था कि 175 ऐसे लोग पाये गये जिन की पेंशन देना या तो स्थगित रखा है या बन्द कर दिया है। लेकिन, मैं कह रहा हूं कि मैं ने लगभग 40 आदमियों की सूची दी थी जिन में से 8 व्यक्ति ऐसे थे जिनके बारे में मैं आपको लिख चुका था। 14 अगस्त, 1973 को यही मालूम हुआ है कि अभी तक इस बारे में इंक्वायरी ही चल रही है। यह हालत अगर आप के कार्यालय की होगी या राज्य सरकार की होगी, तो ऐसे बहुत से नकली लोग पेंशन लेते चले जायेंगे। जो चिट्ठी मैंने लिखी थी, वह आप के दफ्तर से गुम है। फिर श्री आर० एल० प्रदीप ने 23, मई को मुझे जो चिट्ठी लिखी वह मुझे 6 जून को मिली। उन्होंने लिखा था कि आप की चिट्ठी हमारे दफ्तर से गुम है, फिर दोबारा भेज दीजिये। तो, मैंने फिर मिर्धा जी को एक चिट्ठी 23 मार्च को लिखी जिस मे 15 ऐसे लोगों के नाम बताये जिन के बारे में पेंशन के लिए सिफारिश की गई थी और मेरे विरोध पत्र लिखने के बाद भी उन को पेंशन दे दी गयी। जो लोग कभी जेल गये नहीं, उन को पेंशन मिल रही है। मैं ने 23, मार्च 1974 को मिर्धा जी को चिट्ठी लिखी थी और उस में 15 ऐसे लोगों का उल्लेख किया था जिन के बारे में पटना की कमेटी ने सिफारिश की थी कि उन को पेंशन मिलनी

चाहिए और 3 ऐसे नामो का उल्लेख है जिन को पेशन मिल रही थी।

मेरे पास आप की सूची है जिस मे आप ने उन्हें स्वीकृति दी है पेंशन की 27 मई, 31 मई और 6 जुलाई को।

श्री उमा शंकर दीक्षित : यह 1974 है।

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हां। इस से आप को मालूम होगा कि जिन लोगो के बारे मे मै ने 23 मार्च को चिट्ठी लिखी थी, उस पर कोई ध्यान नही दिया गया शायद इसलिए कि यह सोचा गया हो कि ये एम० पी० लोग तो ऐसे ही बकवास करते हैं। मेरी चिट्ठी के बावजूद इन लोगो को, जिन के नाम की चर्चा मै ने अपने 23 मार्च के पत्र मे की थी, मई और जुलाई मे पेशन की स्वीकृति दी गई। कुछ अन्य लोगो के बारे मे भी वहा पटना मे स्वतन्त्रत सेनानियो की जो समिति है, उस ने अपनी सिफारिश दी थी। वह सूची भी मेरे पास है। और 22 आदमियो की एक और सूची मैं ने मिर्धा जी को आज ही भेजी है। मेरी चिट्ठी के बावजूद आप आल्रेडी उन्हे पेशन दे चुके है। तो मैं यह कह रहा था।

श्री उमा शंकर दीक्षित : वहा जो कमेटी बनी है, उस ने कहा कि इन को पेंशन देनी चाहिए और आप ने कहा कि नही देनी चाहिए और आप की शिकायत यह है कि कमेटी की बात क्यो मानी गई, आप की बात क्यो नही मानी गई, यही बात है न?

श्री रामावतार शास्त्री : बिल्कुल। मैं यह नही कहता कि आप उन को पेशन न दे। लेकिन मैं ने बार बार निवेदन किया है कि आप इस की जांच कीजिए और उस के बाद पेंशन दीजिए। मेरे पास सूचना है कि ये लोग कभी जेल नही गए। आप को जांच करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर कही शंका उत्पन्न कर दी जाए, तो कम से कम पेंशन को तब तक तो रोकिए जब तक कि उस शंका के बारे में पता न लगे। तो मेरी शिकायत यह है कि हम लोग जो पत्र लिखते है उस पर कोई ध्यान नही दिया जाता। कुछ ध्यान तो उस पर दिया जाना चाहिए। मैं ने जिन के बारे में लिखा है उन के मामले अभी विचाराधीन हैं। जो मेरे साथ जेल मे रह चुके है, उन को आप पेंशन नही देते लेकिन जो लोग कभी जेल नही गए, जो उस समय पैदा भी नही हुए थे, उन को आप ने दे दिया। यह तरीका है क्या आप का? पैसा जो दिया जाता है वह कोई मन्त्री जी अपने पास से तो देते नही, वह तो देश का पैसा है। उस को आप ऐसे लोगो को दे रहे है जो कभी जेल नहीं गए और जिन्होने कभी आजादी की लड़ाई मे भाग नही लिया। कल को वे लोग स्वतन्त्रता सेनानियों की पंक्ति मे खड़े हो जाएगे और आगे इतिहास मे उन का नाम निकल जाएगा कि ये लोग स्वतन्त्रता सेनानी थे। इस वजह से मै इस चीज का विरोध करता हू कि इस तरह की बाते क्यो होती है।

इतना ही नहीं, मै ने बार बार यह सवाल इस सदन मे उठाया है कि एक एपूवर को, एक मुखबिर को आप ने पेंशन दे दी। उस का नाम हजारी लाल है। मेरे एक सवाल के जबाब मे दीक्षित जी ने कहा था कि उस का नाम कटवा दिया है लेकिन, हाल ही मे जवाब दिया गया है, कि उस को पेंशन मिल रही है और अभी भी पेंशन की इकवायरी चल रही है। यह बात हमारे सवाल के जबाब मे कही गई है। आप ने सवाल का जबाब दिया है गत 24 जुलाई, को। वह मुखबिर आज भी पेंशन ले रहा है जोंकि आप ने कहा था कि उस की पेंशन बन्द कर दी गई है। आप जवाब कुछ देते हैं और हो कुछ रहा है। इसी तरह से हजारो ऐसे लोगो को पेंशन मिल रही है। जहाँ तक उस के मुखबिर होने की बात है, हाई कोर्ट ने उस को मुखबिर माना है और हाई कोर्ट के जजमेंट की कापी मैं आपके पास भेज चुका हू। अब आप क्या चाहते हैं। सर्टिफाइड

कापी में लिखा है कि वह मुखबिर है और तब भी आप उस को पेंशन दे रहे है। आप बिहार सरकार से पूछ रहे हैं। बिहार की क्या हालत है, मालूम है आप को ? इस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि मुखबिर हों, नकली हों, उन को पेंशन मिल रही है। और जो असली स्वतन्त्रता सेनानी है, उन को नही मिल रही है। इसलिए मैं तो यह समझता हू कि आप ठीक से बिहार की सूची की जाच करवाइए। अगर जांच हुई तो आप को सैकडो नही कई हजार की तादाद मे ऐसे नकली लोग मिलेंगे जो धड़ल्ले से पेंशन ले रहे है। होने पटना सेन्ट्रल जेल से जाली प्रमाण पत्र ले लिए है, ऐसी मुझे खबर मिली है। मैंने बार-बार कहा है कि कम से कम इस बारे मे जाच तो करवाइए और मैंने कई चिट्ठिया भी लिखी है। मै भी स्वतन्त्रता सेनानी हू और मैं जानता हू कि उन की क्या कठिनाइया है।

फिर भी आप नही करते।

यह भी मै पूछना चाहता हूं कि किन-किन को और किस-किस आधार पर आपने पेंशन दी। केवल बिहार सरकार ने सिफारिश कर दी और आपने दे दी ? या तो उनके पास जेल का कोई प्रमाणपत्र होगा, नही तो कोई भूतपूर्व अथवा वर्तमान ससद् सदस्य का प्रमाणपत्र होगा, नही तो एम० एल० ए० ने या किसी विधायक ने सिफारिश की होगी लेकिन आप इन मे से कुछ भी बताना नही चाहते है। कुछ दिन पहले अखबारो मे निकला था कि उत्तर प्रदेश के मेरठ मे ऐसे नकली स्वतत्रता सेनानी मिले हैं और उनको तथा उनकी सिफारिश करने वाले दोनो को जेल की सजा दी गई है। यह बड़ी अच्छी बात है और इसका हम सभी स्वागत करते है। बहुत से एम० एल० ए० और एम० पी० गलत सर्टिफिकेट दे रहे है। तो फिर उनके नाम बताने में आपको क्यो आपत्ति है। पैसा ले लिया और सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसा अगर कोई एम० एल० ए० या वर्तमान या भूतपूर्व ससद् सदस्य या कोई दूसरा करता है और आप के पास इसके बारे मे शिकायत आती है तो आपको नाम बताने मे क्यों कठिनाई होती है। चूकि आप बताना नही चाहते है तो एसी शका होना स्वाभाविक है कि वे आपके ही लोग होंगे और आप उनको बचाना चाहते है।

जब किसी के बारे मे कोई शिकायत की जाती है या शंका उठाई जाती है तो उसकी जाच क्या आप केवल सरकारी स्तर पर ही करेंगे ? बी डी ओ क्या जानेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्या पता। वे लोग अपने तरीके से सरकारी मशीनरी के जरिए से ही इनक्वायरी करेंगे और गलत सही जो भी पता लेगा आपको बता देंगे। लेकिन जो स्वतन्त्रता सेनानी जिन्दा है उन से आप क्यों नहीं पूछते है ? पटना मे ऐसे दर्जनों स्वतत्रता सेनानी है, और जगह भी है उनसे आप कभी नही पूछते हैं अगर उनसे पूछ लेते तो इस तरह से 20-25 या 30 नकली लोगो को पटना मे आप पेंशन न देते। इस तरह से आप जनता के पैसे को बरबाद कर रहे है। ऐसा करने से आप बच जाते।

आज ही मैंने एक सवाल पूछा था। उस में मैंने छ कैटेगरीज के नाम लिए थे। वे ये है :

(1) Punnapra Vayalar Freedom Movement in Kerala during 1946; (2) Arya Samaj Movement in Hyderabad during 1939; (3) Moplah Rebellion in Kerala during 1921; (4) Mutiny in 21 Cavalry Regiment in Egypt during the last War; (5) Mutiny in Hong Kong during the last World War and (6) Army, Navy and Air Force members who rebelled in India and outside during and after the conclusion of the last War."

आपने इसका जवाब यह दिया कि आप मोपला, आर्य समाज आदि के बारे मे जांच कर रहे है। आपकी यह जांच कब तक पूरी

[श्री राम अवतार शास्त्री]

होगी। जब भी इसकी चर्चा की जाती है, इस सवाल को उठाया जाता है यही आप घिसा पिटा जवाब देते है कि जांच हम कर रहे हैं आखिर कोई इस जांच की हद भी है? जिन मामलों को आप विचाराधीन रखे हुए है उनके बारे मे आपको जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ निर्णय तो लेना ही चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक आप विचार करते रहेंगे और कब तक आप किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे ।

उसी तरह से जो जाली नाम आपके पास भेजे जाते है, नकली नाम भेजे जाते है उनकी जांच पड़ताल करने का आप कौन सा तरीका निकालना चाहते है। क्या उनके सम्बन्ध मे आप स्वतन्त्रता सेनानियों की कमेटियो से राय लेना चाहते है?

अब तक कितने लोगो ने दरख्वास्तें दी हैं और कितने लोगों को आपने पेंशन दी है और जिनके केस विचाराधीन है वे कब तक विचाराधीन रहेंगे? आपने कहा था कि 1973 तक तमाम मामले आप तय कर देंगे। अगस्त 1974 बीत रहा है। अभी तक भी आपने उन केसेज को तय नही किया है। कितनी देर आप और लगाएंगे उनको तय करने में?

अगर आपकी निगाह में गलत लोगो के बारे मे केसेज को लाया जाए तो उनकी जांच आप कैसे करवायेंगे? केवल सरकारी मशीनरी पर निर्भर रहेंगे या कोई और तरीका आप अपनाना चाहते हैं? जैसा मैंने बताया स्वतन्त्रता सेनानी बहुत से हैं जिनकी कमेटियां बनी हुई हैं और उन्होंने एक मत से प्रस्ताव भेजे है। लेकिन उसकी परवाह किए बगैर दफ्तरों के लोगों ने कुछ अफसरों ने कह दिया इसलिए उनको आप पेंशन दे देते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। इसमें आप क्या सुधार करना चाहते हैं यह आप बताएं ।

अगर यह पता चल जाए कि फलां नकली स्वतंत्रता सेनानी है तो जिन लोगों ने उसकी सिफारिश की हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने का विचार कर रहे है? इस दिशा में कोई बात आप सोच रहे है या नही? मेरठ वाली बात अखबारो मे निकली थी, मालूम नहीं कहां तक सच थी। लेकिन अगर वह सच थी तो उसका आप और जगह भी अनुसरण करेंगे या नही? मै समझता हू कि जब तक कुछ लोगों को आप सजा नहीं देंगे तब तक जाली नकली सभी तरह का भ्रष्टाचार चलता रहेगा। आपके लोग और तमाम सरकारी दफ्तर भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए है। उनको आप नही रोक सकेंगे। इसलिए तमाम जो सवाल मैंने उठाए हैं उनका आप स्पष्ट उत्तर दें। जिनको पेंशन देना अभी बाकी है उसको कब तक दे देंगे? नकली लोगो का पता कैसे लगायेंगे? जो नकली लोग बेजा फायदा उठा रहे है उनके तथा उनकी सिफारिश करने वालों के नाम भी पता चलना चाहिये।

आप इन सब प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दें ताकि फिर आगे कभी इस सवाल को उठाने को हम लोगो को बाध्य न होना पड़े ।

*SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Ausgram): Mr. Chairman, Sir, in reply to unstarred question No. 1801 dated the 7th August, 1974, the Government have conceded that 175 persons were given freedom fighters' pension who were not genuine freedom fighters. This is most lamentable and sad to say the least. In this way on the one hand we find that as many as 175 fake freedom fighters had managed to secure for themselves the benefits of pension which is intended for those noble souls who had laid down their lives and suffered heavily for the attainment of freedom of the country while on the other hand there are many genuine freedom fighters namely, those who fought in the INA, those who participated in the Mopla agitation, the families of martyrs of

*The original speech was delivered in Bengali.

Punnapra-Vayalar struggle, those who took part in RIN rebellion etc. have been denied their legitimate claim for freedom fighters pension.

Sir, I would also like to stress upon another matter of importance. On the 15th August 1947 when the country was partitioned, thousands of freedom fighters left their homes and hearths in the erstwhile East Bengal and came to West Bengal for permanent stay. Unfortunately while coming to India they could not carry most of their belongings and relevant documents which are now being prescribed for establishing their claims as freedom fighters. There are hundreds of such freedom fighters living in West Bengal today and they are unable to get the benefits of pension scheme. I would therefore urge upon the Government to show leniency in their case and suitably amend the present procedure so that these genuine freedom fighters are not denied the benefit which is intended for them. I am quite sure, Sir, that such a leniency when shown will not be misplaced because we know that even some bad characters of U.P. who had gone to jail during 1942-43 for committing dacoity and doing other anti-social work have been given the freedom fighters pension.

I would now put my questions. I would like to know (i) How many of the 175 fake freedom fighters were recommended by Congress Ministers, MPs and MLAs?

(ii) Whether any of these fake freedom fighters has returned the pension money they had drawn and if so, their number;

(iii) What punishment has been given to these persons for impersonation; and

(iv) How much more time the Government would take to come to a decision regarding grant of freedom fighters pension to those categories of persons which have been referred to by my hon. friend Shri Shastri a little while ago?

SHRI NIMBALKAR (Kolhapur): I know the intention of Shastriji in highlighting this point is genuine but I am also afraid that instead of undeserving cases not getting pension, deserving cases will be further delayed and we should not be putting obstructions in the way of genuine freedom-fighters getting the pensions in time. Lot of trouble is being taken by the freedom-fighters to prove that they were genuine freedom-fighters. As it is, the Government is taking rather too long to grant pension in deserving cases. In some cases while the cases are being scrutinised, some of the freedom-fighters have also died and their widows apply for pension. In this manner lot of procrastination comes in and this should not be allowed to come in the way of granting pensions.

The problem is this We should see to it that pensions are given to deserving cases as quickly as possible. I have known such cases where injustice has been done to the freedom-fighters. I think it is the duty of the younger generation (who did not have the opportunity to participate in the freedom movement but who enjoy these benefits because of the freedom fighters) to see to it that these freedom fighters get their due, get their pensions in time and justice is done to them as early as possible.

Then, what about under-trial prisoners? The proofs of their being under-trials are not perhaps available. No Government records are available. Will the Government then accept the certificate of MPs MLAs, who, even though they may not have been in the jails with them, might certify that they were undergoing imprisonment in jails? I think this can be considered

The freedom-fighters were all released under Gandhi-Irwin Pact. These freedom fighters were sentenced

[Shri Nimbalkar]

for one year and more. Because of the pact coming in between some of them were released earlier. Very few of them were released before four months. The Government has allowed five months for them but they should bring it to four months since that would be doing more justice. I can cite certain cases. There is a place called Pen in district Colaba and the name of the person is Tthosar who is 70 years old and is in a paralytic condition; financially he is a pauper and he is denied pension because he was released after four months and twenty-five days as per Gandhi-Irwin pact. In such hard cases they must go into these cases very carefully.

What about underground workers? Proofs are not perhaps available. For instance Lalji Kulkarni and Salve of Poona were prosecuted in the cinema-bomb case The case was on trial for more than a year. There is no proof of their imprisonment.

MR. CHAIRMAN: Mr. Nimbalkar, you are entitled to ask only one question. But, you have already asked three questions.

SHRI NIMBALKAR: I am only asking questions For example, in 1906—1908 bomb case in Oundh, District Satara, one Mr. Ingle was prosecuted and sentenced to six years' imprisonment. He has undergone five years' imprisonment. He is over eighty years of age now. No record of his sentence is available and no proof of his imprisonment is available. Would the Minister consider setting up a Committee consisting of old freedom fighter M.Ps. who can know the manner in which the imprisonment was experienced by them and who will understand the situation better which was prevailing then and to find out from such M Ps whether there are hard cases. In that case, you can do justice to them. I hope that such a Committee would be useful for this purpose.

Sir, my intention in bringing up this matter is this. If a few people not deserving get anything, it does not matter. But, those who deserve most must get this immediately. I think the Government should see to it that after they have scrutinised the cases they grant the pension immediately. It is their duty to see to it that those who fought for our freedom get the pension expeditiously. There is no better person than Shri Dikshit himself since he has seen all these things himself and an experinced person in all these things.

One last thing I have to say. If we, M.Ps, write to you about individual cases from our constituencies, for God's sake, answer them as quickly as possible I feel sentimentally involved in this. One has to cry or one has to weep. If an old man comes to you whom you know as a freedom fighter and if he says 'look after my case and if he comes and touches our feet' instead of our touching their feet, I do not know, Sir, how you will feel about it, is it not our duty also to see to it that justice is done to the person expeditiously? When we write to Government about these people and if Government does not even answer our letters, could not something be done by you to see that these letters are answered immediately?

17.58 hrs

[MR SPEAKER *in the Chair*]

SHRI ARJUN SETHI (Bhadrak): Mr Chairman; Sir, it is a matter of gratification that we are to-day discussing the case of freedom fighters. It is indeed a matter of pride for us here that these freedom fighters have become martyrs for our freedom struggle But, at the same time, the Government should be more careful while considering the fate of those freedom fighters. We find that the cases of genuine freedom fighters have been neglected. Either their cases have not yet been considered or they have not been sanctioned at all after consideration. But, there are cases of free-

dom fighters who have never visited jails. They have been given pension. I have bitter experience in this regard. I have written frequently letters about some people in my area who have been sanctioned pension wrongly as having taken part in our freedom struggle. But, no answers have been given by Government or the Ministry dealing with such cases. I have visited twice the office dealing with pension cases. Their cases have not been finalised. Those who have undertaken life imprisonment their cases have not yet been finalised. They are crying. They are blaming all of us here, even the Government and they have blamed even our Prime Minister.

18.00 hrs.

Government must have taken care of those persons. When individual cases were brought to their notice, the Minister concerned or the Government should have looked into them. They should have immediately punished those persons on the basis of whose statement the fake freedom-fighters have been granted pension.

Government had declared here in the past that before August, 1973 all the cases of freedom-fighters would be considered and the genuine persons would be awarded pension. But August, 1973 is now gone. Recently also Government had declared in answer to a question that before 15th August, 1974 the cases of the freedom-fighters would all be scrutinised and they would be awarded pension. I would like to know how many cases are still left and how many days Government will take to sanction or process the applications.

In answer to the question it has been stated that in 175 cases of fake freedom-fighters, the claims for pension have been rejected. I would like to know from the hon. Minister the State-wise break-up, and especially the number from Orissa.

Government should consider the cases of genuine freedom-fighters, those who have suffered even life imprisonment but who have not been awarded pension so far. I have written to many letters and even mentioned their names of persons who have been imprisoned for life but whose cases have not yet been considered. I would request the hon. Minister to consider their cases and grant pension to the genuine freedom-fighters.

18.02 hrs.

RESIGNATION BY MEMBER

MR. SPEAKER: Hon. Members, I have to inform the House that I have received a letter of date from Shri Fakhruddin Ali Ahmed, an elected Member from Barpeta constituency of Assam, resigning his seat in Lok Sabha. I have accepted his resignation with effect from today, the 21st August, 1974.

In his letter, Shri Fakhruddin Ali Ahmed has thanked this House. I shall read out the relevant portion which is as follows:

> "I would also like on this occasion to convey through you my grateful thanks to all the distinguished Members of this august House for their great affection and comradely warmth towards me. I shall for ever cherish the most pleasant emmories of the years I had the privilege and honour to be associated with the supreme body of the nation."

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara): I wish to rise on a point of order. According to the rules, a resignation letter has just merely to state that the Member is resigning. I think that is what the Rules of procedure say. Therefore, all these remarks seem to be redundant and should be scored out.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI K. RAGHU RAMAIAH): We should graciously receive what has been graciously said.